

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत

1. ग्राम: चमातु थाना: बालुमथ ,जिला: लातेहार (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 870 E दिनांक. 02.12.1994 एवं SO No.1384 दिनांक10.5.2003

क. अकला लोहार पिता एतवा लोहार ग्राम: हेंचमातु, थाना सं: 56, (रैयती) खाता सं. 1 के अधीन प्लॉट सं. 1280 , कुल रकबा 0.15 एकड़।

ख. बढन लोहार एवं भूनेश्वर लोहार पिता अकलु लोहार ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 (रैयती) खाता सं. 108 के अधीन प्लॉट सं. 1245/2703 एवं 442/2582 , कुल रकबा 0.45 एकड़ एवं खाता सं. 107 के अधीन प्लॉट सं. 1903, रकबा 1.03 एकड़, कुल रकबा 1.48 एकड़ ।

कुल रैयती भूमि(क + ख) = 1.63 एकड़ के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गई है।

2. ऊपर उल्लेखित भूमि

क. ग्राम चमातु, थाना सं: 56, अंतर्गत खाता स. 01, प्लॉट न. 1280 कुल रकबा रकबा 0.15 एकड़ है और यह भूमि खतियानी है और खतियानी रैयत अकला लोहार पिता एतवा लोहार है।

ख. ग्राम चमातु, थाना सं: 56, अंतर्गत खाता स. 108, प्लॉट न. 1245/2703 और 442/2582, रकबा 0.45 एकड़ एवं खाता सं. 107 के अधीन प्लॉट सं. 1903 , रकबा 1.03 एकड़, कुल रकबा 1.48 एकड़ है और यह भूमि खतियानी है और खतियानी रैयत बढन लोहार एवं भूनेश्वर लोहार पिता अकलु लोहार है


अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।


अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु , थाना सं: 56 ; जिला :- लातेहार, (रैयती) खाता सं. 01 के अधीन प्लॉट सं. 1280 , रकबा 0.15 एकड़, (रैयती) खाता सं. 108 के अधीन प्लॉट सं. 1245/2703 और 442/2582 रकबा 0.45 एकड़ एवं खाता सं. 107 के अधीन प्लॉट सं. 1903 , रकबा 1.03 एकड़ , कुल रकबा 1.63 एकड़ जो क्रमश अकला लोहार पिता एतवा लोहार एवं बढन लोहार एवं भूनेश्वर लोहार पिता अकलु लोहार, जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

(sd/-)

महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व)

सी.सी.एल, राँची


04/04/2022


04/04/2022